भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2488

दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

तेलंगाना में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहायता और पहल

2488. **श्री रविचंद्र वद्दीराजूः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशिष्ट सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन किया है;

ख) इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदान की गई किसी भी वित्तीय सहायता या अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

ग) इन पहलों के परिणामों या सफलता का ब्यौरा क्या है इन पहलों ने स्थानीय व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित किया हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) तेलंगाना राज्य सहित देश भर में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम हैं। मंत्रालय द्वारा अलग से किसी राज्य-विशेष स्कीम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय की कुछ मुख्य स्कीमें हैं- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस), पीएम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच), एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) तथा उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)। इन स्कीमों से स्व-रोजगार सृजन, संस्थागत एवं संपार्श्व-मुक्त ऋण तक बेहतर पहुंच, परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उद्यमिता एवं कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से देश भर में एमएसएमई लाभान्वित हुए है।

तेलंगाना राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रगति, प्रदत्त वित्तीय सहायता/अनुदान का ब्योरा अनुलग्नक-I पर है।

अनुलग्नक-I

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**

वित्तीय वर्ष	सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रु.)
2025-26	2663	111.71

2. **ऋण गारंटी स्कीम**

सीजीएस – अनुमोदित गारंटी- लघु उद्यम - तेलंगाना		
अवधि	**अनुमोदित गारंटी की सं.**	**अनुमोदित निधि (करोड़ रु.)**
वित्त वर्ष 2025-26	76,968	17,663

3. **पीएम विश्वकर्मा**

क्र.सं.	पीएमवी घटक	शुरूआत से दिनांक 04.08.2026 तक	वित्तीय वर्ष (2025-26)
1	सफल पंजीकरण	89,040	2568
2	प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण	67,663	6,749
3	संस्वीकृत ऋण आवेदन	29,667	6,300
4	संस्वीकृत ऋण राशि	279.1 करोड़ रु.	59.56 करोड़ रु.
5	संवितरित ऋण आवेदन	27,825	6,425
6	संवितरित ऋण राशि	256.1 करोड़ रु.	59.67 करोड़ रु.
7	उपलब्ध कराई गई टूलकिट	40,904	27,837

4. **राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच)**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्कीम के विभिन्न अंत:क्षेपों के माध्यम से 2,240 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया है।

5. **एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप)**

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रैंप कार्यक्रम के अंतर्गत अंत:क्षेपों, अनुमोदित राशि और लाभान्वित एमएसएमई की संख्या का ब्योरा निम्नानुसार है:

अंत:क्षेप	वित्तीय लक्ष्य (₹करोड़)	वित्तीय उपलब्धि (₹करोड़)	लाभान्वित कुल एमएसएमई (अंकों में)
संकटग्रस्त एमएसएमई का जीर्णोद्धार	13.08	11.5	585
डीआईसी पर उद्यम विकास केंद्रों (ईडीसी) की स्थापना	5.31	5.75	9564
स्व-सहायता समूह और स्टार्टअप का एमएसएमई में परिवर्तन	7.52	3.18	1500
एमएसएमई को हरित बनाना— एमएसएमई के लिए हरित अग्रणी सहायता कार्यक्रम	7.47	2.32	1653

आयात प्रतिस्थापन	4.26	2	82
सेक्टर प्रौद्योगिकी अंतराल का आकलन करने के लिए बेंचमार्किंग अध्ययन	2.44	1.6	363
महिला गतिवर्धन कार्यक्रम	2.54	1.53	728
एमएसएमई निर्यात चैंपियंस की पहचान एवं विकास	3	1.03	123
समेकित एमएसएमई डेटाबेस	2.08	1	40
डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र (सीओडीई) – डिजाइन, ब्रांड संवर्धन, इनक्यूबेशन एवं आईपीआर	2.97	0.99	402
आईईसी	3.72	0.5	0
ऊर्जा-गहन एमएसएमई क्लस्टरों का मानचित्रण और दृश्य डैशबोर्ड तैयार करना	0.44	0.18	131

6. **<u>उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)</u>**

वित्तीय वर्ष	**आयोजित कार्यक्रमों की सं.**	**लाभार्थियों की सं.**
2025-26	666	38572